5 out of 7

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21

बिहार सरकार का उपक्रम

CIN No. U40109BR2012SGC018890

संकल्प संख्या 691 / दिनांक 18/08/26 /

SB-II/BHG-Adt.-11622/2019

श्री सुबोध कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा, सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, आशियाना, पेसू (प0) के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए संकल्प संख्या 432 दिनांक 26.06.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री कृष्णा नन्द झा, सेवानिवृत मुख्य अभियंता को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया :–

श्री सुबोध कुमार, सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा के पदस्थापन अवधि का विशेष अंकेक्षण किया गया विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 12/2018–19 में प्रतिवेदित कंडिकाओं पर समीक्षा के उपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप परिलक्षित होते हैं:–

(1) श्री कुमार द्वारा कार्यालय में बिना अभिलेख संधारण के अनाधिकृत रूप से विपत्र सुधार कर कंपनी को रू0 64,18,486.30/– का राजस्व क्षति पहुँचाई गई।

(2) रू0 32405 का सुधार कनीय विद्युत अभियंता (राजस्व) गर्दनीबाग एवं सहायक विद्युत अभियंता (बॉका) के आई0 डी0 से किया गया जो Billing Software की तकनीकी खमियों को दर्शाता है। साथ ही इस घटना से प्रमंडल कार्यालय भी अवगत नहीं था। यह श्री कुमार के पर्यवेक्षण में कमी के साथ लापरवाही को दर्शाता है।

(3) कनीय विद्युत अभियंता (आपूर्ति) विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, शेखपुरा एवं बरबीघा के आई0 डी0 से रू0 40.28 लाख का विपत्र सुधार अनाधिकृत रूप से अज्ञात लोगो द्वारा किया गया। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जो उनके पर्यवेक्षण में लापरवाही को दर्शाता है।

(4) रू0 1.16 करोड़ का विपत्र सुधार इनके एवं कनीय विद्युत अभियंता (राजस्व) द्वारा किया गया है। विपत्रों के सुधार की प्रक्रिया Paperlesss एवं बिना मान–पठन के Image के आधार पर थी। सुधार हेतु Correction Chart तैयार कर कार्यालय प्रधान का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

इस प्रकार इनके द्वारा कंपनी को गंभीर राजस्व क्षति पहुँचाई गई।

(5) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा के अधीन कुछ उपभोक्ता का परिसर का जाँच एस0टी0एफ0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को किया गया। STF द्वारा किये गये आपत्ति के बावजूद कुल 04 (चार) उपभोक्ताओं पर राशि भारित नहीं किया गया जिससे कंपनी को राजस्व की क्षति हुई।

(6) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा में विपत्र सुधार से संबंधित अभिलेखों के जाँच मे पाया गया कि कई उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विच्छेद के बाद अंतिम विपत्र निर्गत किया गया लेकिन उन उपभोक्ताओं के खाते में अंतिम विपत्र की राशि ना तो भारित की गई और ना ही पूर्व के बकाये की वसूली संभव हो सकी। सिर्फ LD करके विपत्रीकरण बन्द कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

SOUTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD. SBPDCL Illuminating lives...

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक–67 दिनांक 25.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा श्री परवेज आलम के विरूद्ध लगाये गये उपर्युक्त सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन, उपलब्ध अभिलेखों एवं गवाहों के बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि एस0टी0एफ0 दल द्वारा उपभोक्ता की परिसर की जाँच दिनांक 15.12.2017 को की गई। जाँच किये गये कुल 14 उपभोक्ताओं में से कुल 04 उपभोक्ताओं के खातों में राशि भारित करने योग्य थी। जो ससमय नहीं किया गया बल्कि विशेष अंकेक्षण द्वारा जाँच के क्रम में मामला उजागर करने के पश्चात् दिनांक 17.12.2018 के बाद उक्त राशि भारित की गई, इस कार्य में सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व) की लापरवाही परिलक्षित होती है। साथ ही इनके द्वारा विपत्र सुधार से संबंधित दस्तावेज अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा विपत्र सुधार के प्रक्रिया कंपनी नियमानुसार नहीं किया गया। इस प्रकार उपर्युक्त आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त आधार पर जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन, उपलब्ध अभिलेखों एवं गवाहों के बयान के समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए कंपनी के स0सं0 968 दिनांक 03.12.2025 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पूछा गया।

श्री कुमार द्वारा दिनांक 03.01.2026 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

उनके द्वारा समर्पित जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि एस0टी0एफ0 दल द्वारा किये गये जाँच तक आपूर्ति से संबंधित तत्कालीन अधीनस्थ अभियंताओं द्वारा उपभोक्ता के खाते में राशि भारित करने के संबंध में कोई प्रतिवेदन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण विशेष अंकेक्षण के पश्चात् मामला उजागर होने पर राशि को भारित किया गया। अंकेक्षण द्वारा इस मामले में कोई वित्तीय क्षति आंकलित नहीं की गई।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री कुमार का जवाब स्वीकारयोग्य पाया गया।

अतः श्री कुमार के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सुबोध कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा, सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, आशियाना, पेसू (प0) के द्वारा समर्पित जवाब को स्वीकार करते हुए भविष्य में सतर्कता के साथ कार्य किये जाने हेतु निदेश देने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री सुबोध कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा, सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, आशियाना, पेसू (प0) को भविष्य में सतर्कता के साथ कार्य किये जाने का निर्देश दिया जाता है।

आदेश – आदेश दिया जाता है प्रस्तुत संकल्प की एक प्रति श्री सुबोध कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेखपुरा, सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, आशियाना, पेसू (प0) को हस्तगत करा दिया जाए।

सक्षम प्राधिकार के आदेश से,

ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

ज्ञापांक...../ दिनांक...../

बंधित
–मेल

प्रतिलिपि– श्री सुबोध कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, आशियाना, पेसू (प0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

ज्ञापांक...../ दिनांक...../

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रशासक मास्टर ट्रस्ट, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

ज्ञापांक 692 /

दिनांक 18/08/26 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, पेसू क्षेत्र, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (राजस्व), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना /उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी (लेखा), सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/सभी उपमहाप्रबंधक/सभी उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/ वरीय प्रबंधक (आई0टी0) /लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतन पर्ची)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वरीय प्रबंधक (आई0टी0) से अनुरोध है कि इस आदेश कि प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने कि कृपा की जाय।

18/8/26
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

Illuminating lives...

ਕਰੀਨ ਤਕੰਦਰ ਆਈ